NCRES द्वारा महाप्रबंधक स्तर पर पी.एन.एम. हेतु मद – 2024

मद संख्या : 1. कर्मचारियों हेतु बिना किसी सुविधा के DFCCIL के न्यू कानपुर एवं अन्य स्टेशनों को चालू किया जाना – व्यापक सुधार हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में DFCCIL (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited) के नये स्टेशनो पर कर्मचारियों को बिना कोई सुविधा प्रदान किये पोस्ट किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को प्रतिदिन ड्यूटी करने हेतु ही अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि DFCCIL के अधिकतर स्टेशन आबादी से बहुत दूर बनाये गये है और वर्तमान में मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क भी नही है।

उदाहरण के लिये न्यू कानपुर स्टेशन जी.एम.सी. लाबी से 30 किमी. दूर रूमा एवं सरसौल स्टेशन के बीच स्थित है एवं इस स्टेशन पर पहुँचने हेतु कोई पक्की सड़क नही है फिर भी कर्मचारियों को पोस्ट कर दिया गया जब कि वहाँ कर्मचारियों हेतु मूलभूत सुविधायें जैसे आवास, बिजली, पानी, राशन आदि सहित चिकित्सकीय सुविधा की भी कोई व्यवस्था नही है।

रनिंग स्टाफ को सुविधा प्रदान करने व संरक्षा की दृष्टिकोण से कर्मचारियों को जी.एम.सी. लाबी से न्यू कानपुर स्टेशन तक ले जाने व ले आने के लिये वाहन की व्यवस्था की गई है लेकिन अधिकतर वाहन रनिंग स्टाफ को जी.एम.सी. से न्यू कानपुर स्टेशन ले जाने व लाने के बजाय अन्य के सेवा कार्य में लगे है जिसके कारण रनिंग स्टाफ को अपने वाहन मोटर साइकिल से 30 किमी. चल कर ड्यूटी करना पड़ता है जो रेल संरक्षा के लिये उचित नही है। इसी प्रकार 12–14 घंटे की तनावपूर्ण ड्यिूटी कर 30 किमी. वापस जाना भी लोको पायलट की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये ठीक नही है एवं इसी कारण दिनांक 14.9.2023 को ड्यिूटी आफ कर अपने घर जाते समय सहायक लोको पायलट श्री दिवांशु दूबे की सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने के पश्चात अस्पताल पहुंचते–पहुंचते मृत्यु हो गई।

संघ के यह भी संज्ञान में आया है कि न्यू सुजातपुर, न्यू करछना में भी आगे चल कर लोको पायलटो को पोस्ट किया जायेगा, जब कि वहां भी कर्मचारियों हेतु मूलभूत सुविधाओं की कोई व्यवस्था नही है।

NCRES की मांग है कि अब न्यू कानपुर सहित DFCCIL के अन्य प्रस्तावित स्टेशन न्यू सुजातपुर एव न्यू करछना हेडक्वाटर स्टेशन पर तब तक अन्य कर्मचारियों को पोस्ट न किया जाय जब तक वहां पक्की अप्रोच रोड, कर्मचारी आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा आदि की सम्पूर्ण सुविधा प्रदान न कर दिया जाय।

<u>मद संख्या : 2.</u> नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय में LP दवाओं का समय से न मिल पाना एवं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2017/H/4/1/Local Purchase (E-3236402) दिनांक 31.07.2023 को लागू न करना।

NCRES को अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रयागराज स्थित नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय में मरीजो को लोकल परचेज (LP) की दवायें समय से न मिलने व पूरी दवायें एक साथ न मिलने से मरीजो को रोज लाइन लगाना पड़ रहा है। यह भी ध्यान देने की बात है कि LP की दवायें 8–10 दिन बाद भी न मिल पाने से मरीजो को परेशानी हो रही है, व उन्हें स्वयं दवाये खरीदना पड़ता है।

NCRES को जब मरीजो ने अपनी परेशानी बताई तब पता करने पर संज्ञान में आया कि LP दवाओं के लिये मात्र एक फर्म को ठेका दिया गया है जो मनमानी कर रहा है एवं तमाम तरह के तर्क देकर दवाओं को देने से मना कर रहा है एवं केवल वही दवाये दे रहा है जिसमें उसका अधिक फायदा है। ज्यादा फायदे के लिये वह LP में Generic दवाये ही दे रहा है जिसमें Profit Margin 30 -35 गुना है।

NCRES ने पूर्व में पी.एन.एम. में भी यह बात उठायी है कि एक फर्म को ठेका देने से जहां फर्म की मनमानी एवं मरीजो को परेशानी होगी वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व में LP दवाओं की सप्लाई का ठेका एक साथ तीन फर्मो को दिया जाता था, जिससे एक फर्म का दूसरे फर्म से कम्पटीशन के कारण जहां दवा के दाम में छूट से रेल राजस्व में वृद्धि होती थी वहीं दूसरी ओर कोई दवा यदि एक फर्म नही दे पाती थी तो दूसरी फर्म से लेकर वह दवा मरीजो को दे दी जाती थी।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि इन सब परेशानियों को देखते हुये रेलवे बोर्ड ने अपना पत्र संख्या 2017/H/4/1/Local Purchase (E-3236402) दिनांक 31.07.2023 जारी किया है परन्तु खेद का विषय है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में अभी तक इसे लागू नही किया गया है।

NCRES की मांग है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2017/H/4/1/Local Purchase (E-3236402) दिनांक 31.07.2023 को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में अक्षरशः लागू करने के साथ ही मरीजो की सुविधा, रेल राजस्व में वृद्धि एवं भ्रष्टाचार पर रोक के लिये केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज में LP के दवा की सप्लाई में सुधार करने के लिये एक फर्म की बजाय पूर्व की तरह तीन फर्म को ठेका दिया जाय।

<u>मद संख्या : 3.</u> नार्थ सेन्ट्रल रेलवे परिक्षेत्र में पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के क्रू द्वारा अधिक किमी. के ट्रेन परिचालन के सापेक्ष किमी. बैलेन्सिंग करने हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे परिक्षेत्र में पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) के क्रू द्वारा काफी अधिक किमी. का ट्रेन परिचालन किया जा रहा है जिससे नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के क्रू को प्रतिदिन हजारो किलोमीटर का नुकसान हो रहा है, एवं जिससे नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के लोको पायलटो में असंतोष व्याप्त है।

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के क्रू द्वारा WCR में प्रतिदिन ट्रेन परिचालन के सापेक्ष पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) रेलवे द्वारा प्रतिदिन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के परिक्षेत्र में ट्रेन परिचालन एवं वांक्षित किलोमीटर बैलेन्सिग का विवरण निम्न है जब कि ट्रेन वाइज डाटा पत्र के साथ संलग्न है –

Summary of Crew balancing kilometres/day between NCR & WCR (as on 30.5.2023)							
Division	Rly./Div		Inter Change Point	km/day	Total	Diff.	Remark
PRYJ Division	WCR Over NCR	JBP Over PRYJ	MKP	6997	6997	- 6485	Earned 6485 km/day more by WCR on PRYJ Div.
	NCR Over WCR	PRYJ Over JBP	MKP	512	512		
AGC Division	WCR Over NCR	Kota Over AGC	MTJ	2537	3647	-3462	Earned 3462 km/day more by WCR Over AGC Div.
		Kota Over AGC	BTE	90			
		Kota Over AGC	BXN	1020			
	NCR Over WCR	AGC Over Kota	MTJ	26	185		
		AGC Over Kota	BTE	67			
		AGC Over Kota	BXN	92			
JHS Division	WCR Over NCR	JBP Over JHS	OHAN	430	9807	-2632	Earned 2632 km/day more by WCR On JHS Div.
			AGD	782			
		BPL Over JBP	AGD	8595			
	NCR Over WCR	JHS Over JBP	OHAN	101	7175		
			AGD	825			
		JHS Over BPL	AGD	6249			
					Total	**12579**	**Earned 12579 km/day more by WCR On NCR.**

NCRES की मांग है कि :–

(1) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के क्रू को WCR के क्रू के सापेक्ष प्रतिदिन 12579 किमी. के हो रहे नुकसान की किलोमीटर बैलेन्सिंग कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(2) इसी प्रकार अन्य जोनो से भी तुलना में NCR को किलोमीटर का ज्यादा नुकसान हो रहा है इसलिये NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो की निकटवर्ती मण्डलो से जोन स्तर पर समीक्षा कर किलोमीटर बैलेन्सिंग करायी जाय।

मद संख्या : 4. **प्रयागराज स्टेशन के सिटी साइड में बने G+5 बिल्डिंग का प्रथम तल Subordinate Rest House के लिये आवंटित किया जाना।**

NCRES को अवगत कराना है कि प्रयागराज मण्डल, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे का सबसे बड़ा मण्डल है और प्रयागराज में ही NCR का प्रधान कार्यालय भी स्थित है जिसके कारण प्रयागराज मण्डल के अलावा झांसी और आगरा मण्डल के सुपरवाइजर भी प्रयागराज में आते है। सबआर्डिनेट रेस्ट हाउस की स्थिति खराब होने व कमरो एवं बेड की संख्या कम होने के कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो से ड्यूटी पर आने वाले सुपरवाइजर को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें मजबूरी में होटल का सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण NCRES लम्बे समय से प्रयागराज में 20–25 कमरो का नया Subordinate Rest House बनाने की मांग कर रहा है और दिनांक 6/7 दिसम्बर 2023 की पी.एन.एम. बैठक में भी NCRES ने इस मुद्दे को महाप्रबंधक के समक्ष उठाया था।

यह भी अवगत कराना है कि NCRES द्वारा लम्बे समय से लगातार यह मुद्दा उठाते रहने के कारण NCRES को अवगत कराया गया कि प्रयागराज स्टेशन के सिटी साइड में बनी G + 5 बिल्डिंग के प्रथम तल में 12 कमरो, 04 डारमेट्री सहित किचन, डाइनिंग हाल एवं वेटिंग हाल का निर्माण Subordinate Rest House के लिये किया गया है।

NCRES को विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि जंक्शन के सिटी साइड में बनी G + 5 बिल्डिंग के प्रथम तल पर बने कमरे सबआर्डिनेट रेस्ट हाउस के बजाय किसी अन्य कार्य के लिये इस्तेमाल में होगा, जो उचित नही है और NCRES को यह स्वीकार नही है।

NCRES की मांग है कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सिटी साइड में बनी G + 5 बिल्डिंग का प्रथम तल फ्लोर प्लान के अनुसार ही सबआर्डिनेट रेस्ट हाउस के लिये आवंटित किया जाय।

मद संख्या : 5. **सिगनल फेलियर अटेन्ड के दौरान सिगनल विभाग के JE / SSE / Technician /Assistant के रन ओवर की घटनाओं में वृद्वि – आवश्यक कदम उठाने हेतु।**

NCRES को अवगत कराना है कि S&T विभाग के जे.ई./एस.एस.ई./टेक्नीशियन एवं असिस्टेन्ट के रन ओवर की घटनाओं में वृद्धि के कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे सहित पूरे भारतीय रेल के S&T कैडर में बहुत असंतोष है।

इस सम्बन्ध में NCRES ने पूर्व में अपने पत्र दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से अवगत कराया था कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मंडल में प्रयागराज–नैनी आटोमेटिक सेक्सन में सिगनल फेलियर अटेन्ड करते समय S&T के दो कर्मचारी स्व. शैलेन्द्र टेक्नीशियन व लालमन हेल्पर रन ओवर हो गये थे।

खेद के साथ अवगत कराना है कि जनवरी–फरवरी 2024 में 15 दिनों में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे सहित भारतीय रेल के अन्य जोनों में कुल 6 सिगनल कर्मचारी कार्य के दौरान रन ओवर हो गये जिनका विवरण निम्न है।

क्रम	रेलवे	मंडल	स्टेशन	दिनांक	समय	रन ओवर कर्मचारी का नाम	पद
1	ECR	DDU	PSE	6.2.2024	12:10 hrs	स्व0 सुधान्शु कुमार	ESM/I/PSE
2	ECR	DDU	PSE	6.2.2024	12:10hrs	स्व0 हरदेव	HELPER/PSE
3	NCR	AGC	RDE	27.1.2024	7:55 hrs	स्व0 संजय कुमार सिन्हा	MCM/Sig/RDE
4	WR	BCT	BYR	22.1.2024	20:55 hrs	स्व0 वासू मित्रा	SSE/Sig/BYR
5	WR	BCT	BYR	22.1.2024	20:55hrs	स्व0 सोमनाथ उत्तम	ESM/BYR
6	WR	BCT	BYR	22.1.2024	20:55 hrs	स्व0 सचिन वानखेडे	Assistant/Sig/BYR

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि सिगनल विभाग के कर्मचारियों के साथ लगातार हो रही रन ओवर की घटनाओं से पूरे देश के S&T परिवार में रोष व्याप्त है क्योंकि एक तरफ उनसे 8 घंटे डियूटी के बाद भी अंडर रेस्ट अवस्था में डियूटी की अपेक्षा की जाती है एवं कार्य के दौरान इतने अधिक रन ओवर के केसो के बावजूद उनके रिस्क एवं हार्डशिप अलाउन्स नही दिया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के S&T विभाग के कर्मचारियों हेतु निम्न मदो पर तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि कर्मचारियों के आक्रोश को कम किया जा सके।

(1) हर स्टेशन पर JE/SSE/Technician/Assistant की 8 घंटे की शिफ्ट डियूटी सुनिश्चित की जाय। 8 घंटे की डियूटी के बाद फेलियर अटेन्ड का डियूटी रास्टर स्वीकार्य नही है।
(2) प्रत्येक फेलियर पर RPF स्टाफ S&T विभाग के साथ जाय।
(3) प्रत्येक स्टेशन पर शिफ्ट डियूटी में एक Assistant हूटर के साथ डियूटी पर पोस्ट किया जाय जो कि फेलियर अथवा बड़े कार्य पर कर्मचारियों के साथ रह कर उन्हें गाड़ियों के बारे में हूटर बजाकर अर्लट कर सकेगा।
(4) फेलियर पर चार्जशीट पनिशमेनट देकर एवं रेलवे बोर्ड का भय दिखा कर दबाव न बनाया जाय क्यांकि इससे नकेवल रन ओवर केस होने की बल्कि दुर्घटना होने की भी सम्भावना रहती है। अतः फेलियर पर चार्जशीट न देने का आदेश जारी किया जाय।
(5) S&T स्टाफ को रिस्क एवं हार्डशिप अलाउन्स देने का आदेश तुरन्त जारी किया जाय।
(6) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में "Night Failure Gang" बनायी जाय जो रात्रि में Failure अटेन्ड करे।

<u>मद संख्या : 6.</u> नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में Re-engaged retired paramedical Staff को रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशो के तहत पारिश्रमिक न दिया जाना।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 82/2023 दिनांक 21.6.2023 एवं पुनः RBE 142/2023 दिनांक 19.12.2023 के तहत नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में केन्द्रीय चिकित्सालय सहित अन्य जगहो पर रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ को Re-engage किया गया है।

यह भी कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या में निहित आदेशो के तहत MoF OM No. F.No. 3-25/2020-E-III A दिनांक 9.12.2020 के अनुसार ऐसे Re-engaged retired paramedical Staff को Last Basic Pay Minus Pension का पूरा पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये था परन्तु खेद का विषय है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ऐसे लोगो से कार्य तो लिया जा रहा है परन्तु उनको उपयुक्त पारिश्रमिक देना सुनिश्चित नही किया गया है जो कि न केवल अनुचित है परन्तु नियम विरूद्ध भी है।

यह भी कि केन्द्रीय चिकित्सालय प्रयागराज में दिनांक 30.4.2024 से पूर्व अनुबंधित फर्म ने पिछले 5–6 महीने से कार्यरत कर्मचारियों को कोई पारिश्रमिक ही नही दिया जब कि तमाम रिटायर्ड रेलवे पैरा मेडिकल स्टाफ वहाँ लगातार कार्यरत है।

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में लगभग 2 वर्षो से कार्यरत ऐसे सभी पैरामेडिकल स्टाफ को रेलवे बोर्ड के नियमो के तहत (Last Basic Pay Minus Pension) पारिश्रमिक एवं एरियर देना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही कान्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्यरत समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को कान्ट्रैक्टर द्वारा समय में पूरा पारिश्रमिक देना सुनिश्चित करते हुये अब नये सिरे से रिटायर्ड रेलवे पैरोमेडिकल स्टाफ को अनुबंधित किया जाय।

<u>मद संख्या : 7.</u> नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में प्रयोशाला अधीक्षक सहित लैब कैडर को ड्रेस अलाउन्स देने के सम्बन्ध में।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 80/2009, RBE 141/2017 एवं RBE 178/2019 एवं नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मण्डल का पत्र सं0 752 ई0 ओ0/मेडि0/यू0जी0/केमिस्ट/भाग–2 दिनांक 27.9.2021 के तहत नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में प्रयोगशाला अधीक्षक सहित लैब कैडर को ड्रेस अलाउन्स नही दिया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या RBE 80/2009 के Annexure IV के क्रम संख्या 30 के अनुसार केमिस्ट, असिस्टेन्ट केमिस्ट, डिस्पेन्सर, लेबोरेटरी असिस्टेन्ट, रेडियोग्राफर, एक्स–रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट को ड्रेस के रूप में डाक्टर की तरह ऐप्रेन पहनने का ड्रेस कोड वर्णित है एवं इसी पत्र के अनुसार सातवें वेतन आयोग के पूर्व लैब अधीक्षक सहित उपरोक्त सभी कैटेगिरी को ऐप्रेन एवं धुलाई भत्ता दिया जा रहा था।

सातवें वेतन आयोग के पश्चात भारतीय रेल में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 141/2017 के तहत उपरोक्त समस्त कैटेगिरी को ऐप्रेन की जगह 5000/– रूपये ड्रेस एलाउन्स दिया जा रहा है, लेकिन केमिस्ट/असिस्टेन्ट केमिस्ट/लेबोरेटरी असिस्टेन्ट/लैब सुप्रीटेन्डेन्ट को वर्ष 2017 से ही ड्रेस एलाउन्स नही दिया जा रहा है।

NCRES को यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रयागराज मण्डल द्वारा लैब कैडर को इस आधार पर वर्दी भत्ता नही दिया जा रहा है कि इस कोटि को वर्दी भत्ता आपूर्ति किये जाने के लिये कोई भी कोड एवं Description अंकित नही है, जबकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG) I/2017/PM 1/13 RBE 178/2019 दिनांक 22.10.2019 के अनुसार लैब कैडर का चैनल आफ प्रमोशन (AVC) निम्न है–

लैब असिस्टेन्ट ग्रेड - II (GP-2000) → लैब असिस्टेन्ट ग्रेड – I (GP-2400) → लैब टेक्नीशियन → असिस्टेन्ट केमिस्ट (GP-2800) → लैब सुप्रीटेन्ड (GP-4200) → चीफ लैब सुप्रीटेन्ड (GP-4600)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लैब कैडर ही लेबोरेटरी असिस्टेन्ट/असिस्टेन्ट केमिस्ट/केमिस्ट कैडर है, जैसा कि ड्रेस रेगुलेशन के पत्र RBE 80/2009 के Annexure -14 के Sr. 30 पर वर्णित है, एवं वे भी फार्मासिस्ट कैडर की तरह ड्रेस एलाउन्स के हकदार है।

यह भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि केमिस्ट/लैब सुप्रीटेन्डेन्ट सहित लैब कैडर सर्वाधिक संक्रमण (कोविड 19 आदि) के बीच कार्य करते है एवं ऐसे में उन्हें प्रतिदिन धुला हुआ साफ ऐप्रेन पहनने की आवश्यकता होती है। अतः इस कैडर को ड्रेस एलाउन्स न देना कहीं से भी उचित नही है।

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो के लैब कैडर को वर्ष 2017 से रूका हुआ ड्रेस एलाउन्स दिया जाय।

मद संख्या : 8. केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज में नियमित नेत्र चिकित्सक की नियुक्ति किया जाना, उप मण्डलीय चिकित्सालय कानपुर में चिकित्सक की व्यवस्था करना और प्रयागराज मण्डल के प्रयागराज व कानपुर परिक्षेत्र के कर्मचारियों को ड्रेनेज व सीवर भराव की समस्या से निजात दिलाना।

अवगत कराना है कि लम्बे समय से केन्द्रीय चिकित्सालय में कोई स्थाई नेत्र चिकित्सक की नियुक्ति न हो पाने के कारण कान्ट्रैक्ट बेसिस पर तीन डाक्टरो को नियुक्त किया गया है जो कि केवल सीमित संख्या में मरीजो को देखते है।

इसके अतिरिक्त इन नेत्र चिकित्सको को दिखाने हेतु कर्मचारियों का नम्बर ही नही आ पाता है एवं मजबूरी में उन्हें इन्हीं तीनो चिकित्सको में से किसी एक को उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना पैसा खर्च कर इलाज कराना पड़ता है। यही नही इन चिकित्सको को दिखाने के लिये एक अलग से फार्म भर कर MD से साइन कराना पड़ता है।

जो कर्मचारी टोकन प्राप्त कर उपरोक्त में से किसी डाक्टर को दिखा भी लेते है तो उन्हें नार्मल एवं एल.पी. दवायें किसी अन्य/रेलवे डाक्टर से लिखवानी पड़ती है, ऐसी स्थिति में उन्हें बार–बार लाइन लगाना पड़ता है। फील्ड एवं पर्दे की जांच के लिये भी रेल कर्मचारी अपना पैसा खर्च कर रहा है क्योंकि यहां यह सुविधा ही उपलब्ध नही है जब कि ग्रुप ''बी'' में प्रमोट हुये अधिकारियों की पर्दे एवं फील्ड की जांच आवश्यक है परन्तु उन्हें बिना जांच के फिट कर दिया जा रहा है।

कर्मचारियों ने NCRES को यह भी बताया है कि (डाक्टर के कथनानुसार) आँख के आपरेशन हेतु जरूरी उच्च क्वालिटी के उपकरण रेलवे अस्पताल में उपलब्ध नही है जिसके कारण ज्यादातर मरीज रेलवे अस्पताल में आपरेशन न करा कर उपरोक्त डाक्टरो के प्राइवेट नर्सिंग होम में अपना पैसा खर्च कर आपरेशन कराने को मजबूर है। इसके अतिरिक्त मोतियाबिन्द आपरेशन कराने वालो की लम्बी सूची होने के कारण रेलवे अस्पताल में आपरेशन कराने हेतु उनका महीनो नम्बर भी नही आता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को विशिष्ट मेडिकल जांच हेतु दूसरे शहरो में भेजा जाता है एवं वे परेशान होते है इसी प्रकार उप मण्डलीय चिकित्सालय कानपुर में वर्तमान समय में फिजीशियन, एनीस्थीसिया व जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन आदि चिकित्सको के न होने के कारण मरीजो को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रयागराज मण्डल में विभिन्न बड़े–बड़े स्टेशनो के कालोनी में ड्रेनेज और सीवर भराव की बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण पूरे मण्डल के कर्मचारी परेशान है उदाहरण के लिये प्रयागराज के मालगोदाम कालोनी के ब्लाक नं0 871 के ड्रेनेज व सीवर जाम की समस्या तथा कानपुर परिक्षेत्र की समस्त रेल कालोनियों में जैसे– तेजाब मिल, फजलगंज, गोविन्द नगर, निराला नगर, जन्माष्टमी रेलवे कालोनी, ट्रैक्शन कालोनी, लोको कालोनी एवं अन्य कालोनियों में सालो से सीवर भराव की समस्या बनी हुई है इससे निजात दिलाया जाय।

उपरोक्त स्थिति के कारण NCRES की मांग है कि :–

(1) केन्द्रीय चिकित्सालय में स्थायी नेत्र चिकित्सक पदस्थापित किया जाय एवं जब तक यह व्यवस्था नही होती तब तक कान्ट्रैक्ट पर प्रत्येक कार्य दिवस के लिये फुल टाइम नेत्र चिकित्सक की व्यवस्था की जाय।

(2) नेत्र चिकित्सक को दिखाने के लिये बिना फार्म भरे आन लाइन टोकन की व्यवस्था की जाय।

(3) नेत्र चिकित्सा हेतु उच्च क्वालिटी के उपकरण/लेन्स आदि की व्यवस्था की जाय।

(4) आँख से सम्बन्धित विशिष्ट जाँचो जैसे फील्ड एवं पर्दे की जांच हेतु निजी चिकित्सालयों से एग्रीमेन्ट किया जाय।

(5) मोतियाबिन्द एवं अन्य गम्भीर बीमारियों के इलाज/आपरेशन के लिये प्रतिष्ठित प्राइवेट चिकित्सालय से अनुबन्ध किया जाय।

(6) उप मण्डलीय चिकित्सालय कानपुर में फिजीशियन, एनीस्थीसिया, जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन आदि की व्यवस्था किया जाय।

(7) प्रयागराज मण्डल के विभिन्न स्टेशनो की कालोनियों में रहने वाले कर्मचारियों को ड्रेनेज व सीवर भराव की समस्या से निजात दिलाया जाय और प्रयागराज के माल गोदाम कालोनी के ब्लाक नं0 871 का ड्रेनेज व सीवर को नमामि–गंगे द्वारा बिछाई गई सीवर लाइन में कनेक्ट किया जाय और कानपुर की तेजाब मिल, फजलगंज, गोविन्द नगर, निराला नगर इत्यादि अन्य कालोनियों में सीवर भराव की समस्या को ठीक कराया जाय।

<u>मद संख्या : 9.</u> MACP का लाभ देने के लिये कर्मचारियों की अर्हक सेवा में कैजुअल लेबर सर्विस का 50% जोड़े जाने के सम्बन्ध में Pick & Choose व प्रशासनिक विलम्ब के कारण कर्मचारियों को भारी नुकसान होना।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 36/2010 दिनांक 25.2.2010 के अनुसार MACP के लिय कैजुवल लेबर सर्विस का 50 प्रतिशत जोड़ा जाता था लेकिन Pick & Choose व प्रशासनिक विलम्ब के कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में बहुत से ऐसे कर्मचारी छूट गये है जिन्हें पूर्व में MACP का लाभ जाने–अनजाने में नही दिया गया एवं अब RBE 33/2021 जारी होने के कारण उनकी कैजुअल लेबर सर्विस का 50 प्रतिशत अर्हक सेवा में नही जोड़ा जा रहा है जिससे कर्मचारियों को MACP का लाभ नही मिल पाया।

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज एवं अन्य मण्डल में ऐसे बहुत केस है जो Pick & Choose व अनावश्यक प्रशासनिक विलम्ब के कारण गरीब कर्मचारियों को बहुत आर्थिक नुकसान हो गया। इस सम्बन्ध में उदाहरण के तौर पर श्री राम अनन्ते, रिटायर्ड हेल्पर अधीन SSE/Sig/D-2/PRYJ का केस देखा जा सकता है जिसे प्रशासनिक विलम्ब के कारण दिनांक 20.11.2015 से MACP के तहत GP-2400 का लाभ नही मिल पाया और वो 29.2.2016 को सेवानिवृत हो गये।

सम्बन्धित कर्मचारी श्री राम अनन्ते के लगातार प्रयास करते रहने पर भी जब उसे GP-2400 का लाभ नही मिला तो NCRES के मण्डल सचिव द्वारा लगातार पत्र लिखा गया जिस पर प्रशासन ने अपने पत्र 23.10.2018 द्वारा मण्डल सचिव को अवगत कराया कि राम अनन्ते पूर्व हेल्पर अधीन SSE/Sig/D-2/PRYJ को MACP के तहत GP-2400 दिनांक 20.11.2015 से देय है और लाभ देने के लिये केस प्रस्तुत किया गया है।

NCRES ने अपने पत्र दिनांक 23.2.2016, 31.8.2016, 22.4.2019 के द्वारा भी श्री राम अनन्ते को MACP के तहत GP-2400 देने की मांग किया था और DAR क्लीयरेन्स पहुँच जाने के बावजूद श्री राम अनन्ते को GP-2400 का लाभ नही दिया गया जब कि अन्य सभी को लाभ दे दिया गया।

MACP का लाभ प्राप्त न होने पर जब श्री राम अनन्ते ने PG पोर्टल पर दिनांक 16.7.2022 को अपील किया तो दिनांक 26.7.2022 को APO/PPRYJ ने अवगत कराया कि RBE 33/2021 दिनांक 30.4.2021 के तहत उनकी 50% कैजुवल लेबल सर्विस नही जोड़ी जा सकती।

उपरोक्त विसंगति पर NCRES ने अपने पत्र दिनांक 24.1.2023 द्वारा NFIR को अवगत कराया, जिस पर NFIR ने रेलवे बोर्ड से वार्ता किया और रेलवे बोर्ड ने दिनांक 14.2.2023 को RBE 31/2023 जारी किया।

उपरोक्त स्थिति में NCRES की मांग है कि :–

(1) RBE 33/2021 दिनांक 30.4.2021 जारी होने के पूर्व जिन कर्मचारियों की अर्हक सेवा में कैजुअल लेबर सर्विस का 50% जोड़कर प्रशासन द्वारा MACP का लाभ देने का निर्णय लिया जा चुका था या केस प्रोसेस किया गया था, उन सभी को MACP का लाभ दिया जाय।

(2) इसी प्रकार श्री राम अनन्ते के समकक्ष अन्य कर्मचारियों को दिये गये III MACP के लाभ की भांति श्री राम अनन्ते, रिटायर्ड हेल्पर अधीन SSE/Sig/D-2/PRYJ को भी मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक) के पत्र दिनांक 23.10.2018 के अनुसार दिनांक 20.11.2015 से तृतीय MACP के तहत GP-2400 का लाभ दिया जाय।

<u>मद संख्या : 10.</u> सुपरवाइजर कैडर के अपग्रेडेशन के सम्बन्ध में जारी RBE 155/2022 दिनांक 17.11.2022 का रिव्यू नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में प्रत्येक वर्ष न किया जाना।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या RBE 155/2022 दिनांक 17.11.2022 का नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के झांसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलो में क्रियान्वयन में काफी समय लग रहा है।

RBE 155/2022 के अनुसार प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में इस स्कीम का Annual Review किया जायेगा एवं नये कर्मचारियों को अपग्रेड किया जायेगा परन्तु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में जुलाई 2023 में ऐसा नही किया गया है एवं अब जुलाई 2024 का Annual Review भी Due है। यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि पिछले दो वर्षो में तमाम कर्मचारी ग्रुप ''बी'' में प्रमोट हो चुके है, एवं ऐसे में GP-4800 में अन्य कर्मचारियों का प्रमोशन ड्यू है।

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तीनो मण्डलो में जुलाई 2024 तक रिव्यू कर के पात्र लोगो की लिस्ट जारी की जाय जिन्हें GP-4800 में अपग्रेड किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले GP-4800 में प्रमोशन के लिये पात्रता का रिव्यू किया जाय।

<u>मद संख्या : 11.</u> वन्दे भारत ट्रेन में रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार हेतु केवल दो सीट रिजर्व करा पाने के प्रतिबंध को हटाने हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि भारत में निर्मित वन्दे भारत ट्रेन का पहला संचालन 15 फरवरी 2019 में हुआ था जिसके बाद, अब तक 23 वन्दे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जा चुका है एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार इस साल के अंत तक इसकी संख्या 75 तक करने के साथ वन्दे भारत स्लीपर ट्रेन भी चलाने की योजना है एवं आगे चल कर सभी ट्रेनो को वंदे भारत ट्रेन में कनवर्ट करने की योजना है।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल एवं सोशल मीडिया में व्यापक प्रचार के कारण जनमानस सहित रेल कर्मचारियों के बच्चो में इस ट्रेन में यात्रा करने की विशेष उत्सुकता है परन्तु खेद का विषय है कि रेल कर्मचारी द्वारा निर्मित एवं रेल कर्मचारियों द्वारा संचालित इस ट्रेन में सुविधा पास पर रेल कर्मचारी द्वारा केवल दो सीट बुक करा पाने की बाध्यता के कारण रेल कर्मचारी के बच्चे इस ट्रेन में सफर कर पाने से वंचित है।

NCRES का भी मानना है कि रेल कर्मचारियों हेतु पहले राजधानी एक्सप्रेस में दो सीटो की बाध्यता केवल इस लिये की गई थी क्यों कि उस समय उस प्रकार की केवल वही ट्रेन हुआ करती थी एवं सुविधा पास पर ज्यादा रिजर्वेशन से आम जनता को राजधानी में सफर करने का पूरा मौका नही मिलता था परन्तु आज के परिदृश्य में जब कि राजधानी के साथ शाताब्दी, दूरन्तो, तेजस, गतिमान आदि एवं अब वन्दे भारत सहित तमाम ऐसी समान ट्रेनो का संचालन हो रहा है, ऐसे में उस पुराने नियम को बदले जाने की आवश्यकता है क्यों कि अब सीमित परिवार, अधिक ट्रेने एवं यात्री परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधन उपलब्ध होने के कारण रेल कर्मचारियों के सुविधा पास पर पूरे परिवार के साथ यात्रा कर सकने की अनुमति देने से न तो आम जनता को रिजर्वेशन मिलने में कठिनाई ही आयेगी एवं न ही रेल राजस्व पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा।

NCRES का यह भी मानना है कि रेल कर्मचारी हेतु केवल दो सीट की बंदिश के कारण भारतीय रेल का 99 प्रतिशत कर्मचारी पूरे जीवन काल में ऐसी ट्रेनो में सफर नही कर पाता है एवं हीन भावना का शिकार होता है। इसके विपरीत यदि वन्दे भारत ट्रेन जिसकी संख्या आने वाले समय में 50 प्रतिशत होने की सम्भावना है, उसमें रेल कर्मचारी को परिवार के साथ सफर की अनुमति देने से न केवल उसके मनोबल में बढ़ोत्तरी होगी बल्कि रेल कर्मचारियों के बच्चो में रेल की नई बदली तस्वीर की छाप बचपन से अंकित हो सकेगी एवं वह आगे चल कर रेल के विकास में अपना योगदान एवं रेल की छवि को बढ़ाने का कार्य करेगा।

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारी व उनके परिवार के हित में NCRES की मांग है कि वन्दे भारत ट्रेन में यात्रा के सुविधा के लिये कार्यरत रेल कर्मचारियों के साथ–साथ रिटायर्ड कर्मचारियों हेतु सुविधा पास/काम्पलीमेन्ट्री पास पर दो सीट की बंदिश को हटाते हुये पूरे परिवार के साथ सफर करने की अनुमति प्रदान किया जाय।

<u>मद संख्या : 12.</u> प्रयागराज मण्डल में इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% इनटेक कोटे के तहत अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या RBE 146/2018 दिनांक 20.9.2018 के द्वारा इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% इनटेक कोटे के तहत अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण किये जाने में ट्रैकमैनो की कमी के कारण हो रही दिक्कतो को देखते हुये आदेश जारी किया था कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वाणिज्य, यात्रिंक व अन्य विभागो की 10% वैकेन्सी जोड़ कर इन्डेन्ट किये जाय, जिनमें इंजीनियरिंग विभाग से 10% कोटे के तहत जाने का प्रावधान है एवं इसी के साथ जिन विभागो में ऐसे स्थानान्तरण/समावेश का प्रावधान है वे केवल अपनी वैकेन्सी का 90% ही इन्डेन्ट करेगें एवं 10% इनटेक इंजीनियरिंग विभाग से लेगें।

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुपालन में आगरा एवं झांसी मण्डलो में अन्य विभागो में ट्रैकमैनो के 10% इनटेक की प्रक्रिया वर्ष 2020 में ही प्रक्रिया शुरू कर ली परन्तु खेद का विषय है कि रेलवे बोर्ड से जारी RBE No. 146/2018 के पांच वर्ष बाद भी प्रयागराज मण्डल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आज तक इसका अनुपालन नही किया गया है जिससे प्रयागराज मण्डल के ट्रैकमैनो में असंतोष व्याप्त है।

NCRES की मांग है कि RBE No. 146/2018, RBE 138/2023 एवं RBE 41/2024 के तहत प्रयागराज मण्डल सहित नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत ट्रैकमैनो को 10% कोटे के तहत वाणिज्य, यांत्रिक व अन्य विभागो में समावेश/स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया अविलम्ब शुरू करने के लिये उचित निर्देश जारी किया जाय ताकि कर्मचारियों के आक्रोश को कम किया जा सके।

<u>मद संख्या : 13.</u> GP-4800 में अपग्रेड हुये ग्रुप ''सी'' रेलवे कर्मचारियों को रात्रि भत्ते का भुगतान नही किया जाना–रात्रि ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

NCRES को अवगत कराना है कि आपरेटिंग, S&T, OPTG, Engg, Commercial, C&W आदि विभागो के कर्मचारी दिसम्बर 2022 में GP-4800 में अपग्रेड हुये है उनसे रात्रि ड्यिूटी करायी जा रही है परन्तु उन्हें रात्रि भत्ते को भुगतान नही किया जा रहा है जिससे उन कर्मचारियों में बेहद रोष है। **विदित हो कि रेलवे बोर्ड के निर्देशो के तहत केवल MACP के तहत GP-4800 में कार्यरत कर्मचारियों को ही रात्रि भत्ता दिया जा सकता है।**

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत GP-4800 में अपग्रेड हुये समस्त विभागो के कर्मचारियों को जिनसे रात्रि ड्यूटी करायी जा रही है उन्हें रात्रि भत्ते का भुगतान किया जाय अथवा उनसे रात्रि ड्यिूटी न करायी जाय।

मद संख्या 14 : झांसी मण्डल में लोको पायलट (गुड्स) GP-4200 के प्रमोशन में अनियमितता।

NCRES को अवगत कराना है कि झांसी मंडल में 183 लोको पायलट GP-2800 का प्रमोशन लोको पायलट गुड्स GP-4200 में आफिस आर्डर 828/2015 के द्वारा दिनांक 31.12.2015 को हुआ था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि प्रमोशन तभी मान्य होगें जब कर्मचारी "Pre Promotional Course" पास करेगा और तथ्य ये है कि 183 लोको पायलट जिनका प्रमोशन आर्डर दिनांक 31.12.2015 को जारी हुआ वो पहले ही "Pre Promotional Course" पास कर चुके थे।

उपरोक्त आदेश के पश्चात दिनांक 11.8.2020 को नया आदेश जारी कर दिया जाता है कि कर्मचारी का प्रमोशन Pre Promotional Course पास कर लेने के बाद "date of competency certificate" से होगा, परन्तु ऐसा करने में कर्मचारी की प्रारम्भिक वरिष्ठता को ध्यान में रखना होता है क्योंकि RBE 101/2008 वरिष्ठता के मूलभूत नियमो में बदलाव को इंगित नही करता।

परन्तु NCRES को अवगत कराना है कि झांसी मण्डल में प्रथम तो लोको पायलट गुड्स GP-4200 में प्रमोशन के लिये मात्र Competency Certificate जारी होने की तिथि को प्रमोशन की प्रभावी तिथि माना एवं दूसरा जूनियर कर्मचारियों को Competency Certificate पहले जारी कर दिये।

NCRES यहां पर भ्रष्टाचार को इंगित करते हुये बताना चाहता हूं कि 183 लोगो के प्रमोशन की पूर्व में जारी लिस्ट दिनांक 828/2015 दिनांक 31.12.2015 में जिस कर्मचारी का नाम 181वें नम्बर पर था उसे Competency Certificate सबसे पहले दिनांक 15.3.2016 को जारी कर दिया गया जब कि अन्य सीनियर लोको पायलटो को डेढ़ वर्ष के पश्चात अगस्त 2017 में Competency Certificate जारी किया गया जो कि वरिष्ठता के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरीत था।

NCRES का भी मानना है कि प्रशासन को वरिष्ठता के अनुसार ही लोको पायलटो को Competency Certificate जारी करने चाहिये थे परन्तु ऐसा नही किया गया एवं कर्मचारियों को कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा और स्पीकिंग आर्डर जारी किये जाने के बाद भी कर्मचारियों को न्याय नही मिला।

NCRES की मांग है कि झांसी मण्डल द्वारा जारी आदेश सं0 828/2015 दिनांक 31.12.2015 की सूची में क्रम सं0 181 के जिस जूनियर कर्मचारी को दिनांक 15.3.2016 को Competency Certificate जारी कर उसे प्रमोशन दिया गया, उसी तारीख (दिनांक 15.3.2016) से क्रम सं0 181 के कर्मचारी से वरिष्ठ कर्मचारियों को भी दिनांक 15.3.2016 से Competency Certificate जारी कर

प्रमोशन दिया जाय और उनका पे फिक्सेशन दिनांक 15.3.2016 से करके एरियर समेत समस्त लाभ तुरन्त प्रदान किये जाय।

मद संख्या 15 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रेलवे कालोनी के अनुरक्षण हेतु Colony Inspection Groups (CIG's) बनाने हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे कालोनियों का बेहतर अनुरक्षण करने हेतु अपने पत्र संख्या 2014/LMB-II/1/1(A) दिनांक 25.7.2014 के द्वारा कालोनी कमेटी/कालोनी निरीक्षण कमेटी की जगह Colony Inspection Groups (CIG's) बनाने हेतु निर्देश जारी किया था जो कि निम्न जगहो की कालोनी हेतु अलग–अलग गठित की जानी थी।

(1) Zonal/Division HQ स्तर पर जहाँ 200 से ज्यादा रेलवे आवास हो।
(2) ऐसी कालोनी जहाँ ADEN पोस्टेड है।
(3) रोड साइड स्टेशनो पर स्थित रेलवे कालोनी

(a) Zonal/Division स्तर पर SIG's में निम्न लोग शामिल होगें।

1. Sr. DPO/DPO (Coordinator)
2. ADEN
3. Sr. DFM/DFM
4. Sr. DMO/DMO
5. Sr. DEE/DEE
6. Sr. DSTE/DSTE
7. Sr. DSC/DSC
8. Representative of Recognized Union

(b) ADEN के पोस्टड वाली रेलवे कालोनियों में निम्न लोग शामिल होगें।

1. DPO/APO (Coordinator)
2. ADEN
3. AFA
4. AEE
5. ASTE
6. ADMO
7. ADMO
8. ASC
9. Representative of Recognized Union

(c) रोड साइड स्टेशनो पर स्थित रेलवे कालोनियों में निम्न लोग शामिल होगें।

1. SS/SM
2. SE/Works
3. Health Inspector
4. IPF

उक्त CIG's को प्रत्येक तीन माह में एक बार मीटिंग करनी होगी जिसके लिये 7 दिन पहले नोटिस किया जाना चाहिये।

कमेटी रेलवे कालोनी में साफ–सफाई, मेन्टेनेन्स, रोड, नालियां, जल आपूर्ति, सैनिटेशन बाउन्ड्री वाल, स्ट्रीट लाइट, बिल्डिंग की मजबूती, छतो का लीकेज, दरवाजे/खिड़कियों की मरम्मत, फ्लोरिंग आदि की मरम्मत कार्यो सहित बाहरी व्यक्तियों के कब्जे, सुरक्षा आदि के विषय में अपनी रिपोर्ट देगी।

खेद का विषय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशो के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतः NCRES की मांग है कि :–

(1) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के झांसी, प्रयागराज एवं आगरा मण्डल में रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो के अनुसार हर स्तर पर SIG's कमेटी का गठन किया जाय और नियमित अन्तराल पर कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2014/LMB-II/I दिनांक 25.7.2014 के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये नये फार्मेट पर रेलवे आवास की Complaint दर्ज कर उसकी पावती कर्मचारी को दिया जाय।

मद संख्या 16 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज, झांसी एवं आगरा मण्डल में रोड साइड स्टेशनो पर खस्ता हाल रेल आवासो की जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि रोड साइड स्टेशनो पर कर्मचारियों के रेलवे आवासो का बुरा हाल है, छते चू रही है, दीवारो का प्लास्टर टूटा है, जमीन/किचेन की हालत ऐसी है कि वहां न रह सकते है एवं न ही खाना बना सकते है। ज्यादातर जगहों पर आवास नीचे होने की वजह से बारिश का पानी घुटनो तक कमरो में भर जाता है। इसमें से लगभग सभी आवास परित्यक्त करने

लायक होते है परन्तु उन्हें न तो परित्यक्त किया जाता है एवं न ही उन्हें रेल आवास को छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुये NCRES की मांग है कि थोड़ी अधिक आबादी वाले रोड साइड रेलवे स्टेशन जहां अच्छे स्कूल आदि की सुविधा हो वहां पर नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगो का निर्माण रेलवे आवास के रूप में किया जाय एवं 15–20 किमी. की परिधि में रहने वाले रोड साइड स्टेशनो को रेल कर्मचारियों को आवास दिया जाय ताकि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके एवं रोड साइड स्टेशनो पर कठिन परिस्थितियों से 24 घंटे रह कर रेल सेवा करने वाले रेल कर्मचारियों को अच्छे आवास की सुविधा मिल सके।

NCRES की मांग है कि :–

(1) रोड साइड स्टेशनो पर स्थित जिन आवासो में कर्मचारी मजबूरीवश रह रहे है उन्हें अविलम्ब मरम्मत कराने की व्यवस्था की जाय और जो आवास रहने लायक न होने से खाली हो, उन्हें परित्यक्त घोषित किया जाय।

(2) मुख्य रोड साइड स्टेशनो – जैसे प्रयागराज मण्डल में अहरौरा रोड, चुनार, मिर्जापुर, मेजा, करछना, नैनी, भरवारी, सिराथू, खागा, फतेहपुर, सरसौल, मैथा, फंफूद, अक्षलदा, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूण्डला, हाथरस, अलीगढ़, दादरी स्टेशन एवं ऐसे ही आगरा मण्डल में अझई, डीग, खेड़ली, इकरन, रायभा, बिचपुरी और अछनेरा में क्वार्टर बनाये जाये। झांसी मण्डल में पारीछा, मोंठ, उरई, पुखरायां, कालपी, भीमसेन, घाटमपुर, भरुआ सुमेरपुर, चित्रकूटधाम कर्वी, महोबा, हरपालपुर, मऊरानीपुर, बरुआ सागर, दतिया, सोनागिर, कोटरा, मुरैना, बबीना, बिजरौठा, जखौरा, दैलवारा, ललितपुर, करौंदा स्टेशनो पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगो का निर्माण कराया जाय।

मद संख्या 17 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय में प्राइवेट एवं सेमी प्राइवेट केबिन बनाने हेतु।

NCRES लम्बे समय से नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय में प्राइवेट एवं सेमी प्राइवेट रूम बनाने की मांग करता आ रहा है परन्तु सच्चाई यह है कि आज भी सीनियर सुपरवाइजर एवं अन्य सीनियर नान गैजेटेड कर्मचारियों को प्राइवेट केबिन नही मिल पाता है जिसके कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि नान गैजेटेड कर्मचारियों के लिये जो प्राइवेट केबिन है उनकी हालत भी ठीक नही है एवं उनमें न तो सोफा है एवं न ही अटेन्डेन्ट के लिये कोई बेड।

NCRES का मत है कि NCR के केन्द्रीय चिकित्सालय में तीनो मण्डलो सहित हेडक्वाटर के हजारो कर्मचारी इलाज कराते है जो कि प्राइवेट केबिन एवं सेमी प्राइवेट वार्ड के लिये पात्र है परन्तु

उन्हें यह सुविधा नही मिल पा रही है एवं उन्हें बता दिया जाता है कि प्राइवेट केबिन खाली नही है या MD से आदेश करा कर लाओं आदि।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में केन्द्रीय चिकित्सालय में OPD के ऊपर एवं नवाब यूसुफ रोड की तरफ हो रहे केन्द्रीय चिकित्सालय के विस्तार के निर्माण कार्य में नान गैजटेड कर्मचारियों के लिये समस्त सुविधा युक्त प्राइवेट रूम व सेमी प्राइवेट वार्ड बनाये जा सकते है।

इसलिये NCRES की मांग है कि पात्रता के अनुसार कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में केन्द्रीय चिकित्सालय में कम से कम 50 सुविधाजनक प्राइवेट केबिन एवं 20 सेमी प्राइवेट वार्ड के निर्माण का कार्य सम्मिलित कर अविलम्ब कराया जाय।

मद संख्या 18 : इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमैनो को साइकिल अनुरक्षण भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F(E)1/2017/AL-7/1 दिनांक 11.8.2017 के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैकमेन्टेनरो को प्रतिमाह 180 रूपये साइकिल (अनुरक्षण) भत्ता दिनांक 1 जुलाई 2017 से दिया जाना था परन्तु खेद का विषय है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में इसका भुगतान नही किया जा रहा है जब कि प्रयागराज, झांसी और आगरा मण्डल के कर्मचारी वर्षो से इसकी मांग करते चले आ रहे है। यह भी ज्ञात हुआ है कि लगातार मांग करते रहने से कहीं–कहीं 180/– रू0 साइकिल भत्ते का भुगतान करने का आश्वासन मिला लेकिन भुगतान नही हुआ।

NCRES की मांग है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल व आगरा मण्डल के सभी इंजीनियरिंग डिपो में कार्यरत ट्रैकमेन्टेनरो को 180 रूपये प्रतिमाह साइकिल (अनुरक्षण) भत्ता और उसके ऐरियर का भुगतान किया जाय।

मद संख्या 19 : प्रयागराज स्टेशन डेवलपमेन्ट कार्य हेतु कर्मचारियों को शिफ्ट किये गये प्राइवेट आवासो के किराये का पूरा भुगतान न किया जाना।

NCRES को अवगत कराना है कि प्रयागराज स्टेशन डेवलपमेन्ट कार्य हेतु सिविल लाइन्स साइड में रेल आवासो में रह रहे लोगो को स्टेशन डेवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा प्राइवेट आवासो में शिफ्ट किया गया है जिसमें से तमाम लोगो को प्राइवेट सोसाइटी के फ्लैटो में शिफ्ट किया गया है जहां मेन्टीनेन्स चार्ज लगता है जिसका भुगतान कम्पनी द्वारा पिक एण्ड चूज पालिसी के तहत किया जा रहा है जो कि गलत है। सिविल लाइन्स रेलवे कालोनी में रह रहे कर्मचारियों को कार्य स्थल के पास सिविल लाइन्स में भी इमरजेन्सी रेल सुविधा को अटेन्ड करने के लिये प्राइवेट आवास दिये गये है

जो स्वाभाविक रूप से मंहगे किराये के है परन्तु उनके पूरे किराये का भी भुगतान नही किया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि प्रयागराज स्टेशन डेवलपमेन्ट के तहत जिन कर्मचारियों को प्राइवेट आवासो में शिफ्ट किया गया है, उन प्राइवेट आवासो का पूरा किराया, सोसाइटी चार्ज, व मेन्टीनेन्स चार्ज का पूरा भुगतान स्टेशन डेवलपमेन्ट कम्पनी द्वारा देना सुनिश्चित किया जाय।

मद संख्या 20. **NCRES के HQ स्थित प्रेम कार्यालय का नवीनीकरण करना और स्टेनोग्राफर, प्यून, पत्र–पत्रिका, फर्नीचर व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना।**

NCRES के प्रेम कार्यालय के लिये मुख्यालय के मन्दाकिनी भवन के भूतल पर कमरा संख्या जी/005 आवंटित है और कमरे में सीलन व दीमक का प्रकोप है जिसके कारण पेंटिंग इत्यादि होने के एक माह बाद दीमक चलने लगता है। इस कार्यालय में मुख्यालय के साथ साथ तीनों मण्डल के कर्मचारी के अतिरिक्त कारखाना के कर्मचारी एवं अन्य रेलों से कर्मचारी आते जाते हैं लेकिन प्रेम कार्यालय में कुर्सी, टेबल इत्यादि खराब होने के कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे की छवि पर प्रभाव पड़ता है।

''रेल कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी'' (PREM) के तहत भारतीय रेल के सभी जोनो में मान्यता प्राप्त यूनियनो को प्रेम कार्यालय, स्टेनोग्राफर, प्यून, कार्यालय में फर्नीचर, आलमारी एवं हेडक्वाटर स्तर पर उच्च अधिकारी को कार्यालय में इस्तेमाल के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्रियों के समान ही प्रेम कार्यालय में भी उपलब्ध कराया जाता है लेकिन NCR में NCRES को उपलब्ध नही कराया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि :–

(1) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के अगल–बगल में स्थित उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाउस में स्थित URMU के प्रेम कार्यालय व पश्चिम मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय जबलपुर में स्थित WCRMS के प्रेम कार्यालय में जो सुविधायें वहाँ के प्रशासन ने उपलब्ध कराया है, कम से कम उसी की तरह फर्नीचर, आलमारी व अन्य सामग्रियों के साथ स्टेनोग्राफर, प्यून, पत्र–पत्रिका NCR प्रशासन द्वारा NCRES को उपलब्ध कराया जाय।

(2) प्रेम कार्यालय में दीमक एवं सीलन की समाप्ति के लिए मंदाकिनी भवन के कमरा नं0 G-005 की दीवालों पर वॉल टाइल्स लगायी जाय।

मद संख्या 21. सूबेदारगंज हेल्थ यूनिट व सी.एम.एस./प्रयागराज के कर्मचारी कक्ष को वातानुकूलित किया जाना।

सूबेदारगंज हेल्थ यूनिट कर्मचारी सेवा का एक माध्यम है जिसमें मुख्यालय, सीपीओएच, सीएसपी, आरपीएफ, सेवानिवृत कर्मचारी एवं अन्य रेल के कर्मचारी आवश्यकतानुसार चिकित्सा लाभ लेते हैं। प्रयागराज की भौगोलिक स्थिति के अनुसार गर्मी के महीनों में काफी गर्म होने के कारण रेल मरीज हेल्थ यूनिट में असहज महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त दवा के भण्डार गृह में रखी दवा, ज्यादा तापमान होने पर खराब हो सकते है। इसी प्रकार NCRES को यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय अस्पताल के सभी प्रांगण को वातानुकूलित किया जा चुका है किन्तु सीएमएस/प्रयागराज कार्यालय के कर्मचारी कक्ष को वातानुकूलित नहीं किये जाने से वहॉ कार्यरत कर्मचारी गर्मी में कार्य करने को मजबूर है।

NCRES की मांग है कि सूबेदारगंज हेल्थ यूनिट व केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज के सीएमएस कार्यालय के कर्मचारी कक्ष को वातानुकूलित किया जाय।

मद संख्या 22. लेखा मण्डल कार्यालय प्रयागराज के कर्मचारी को प्रोफार्मा फिक्सेशन दिया जाना।

वरि. मण्डल वित्त प्रबंधक कार्यालय प्रयागराज के एपेन्डिक्स 2ए परीक्षा 2017 के उत्तीर्ण लेखा लिपिकों को अवर लेखा सहायक के पद पर परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि 21 जनवरी 2018 से पदोन्नत किया जाना था लेकिन इन्हें दिनांक 01.09.2022 को पदोन्नति प्रदान किया गया। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 20.03.2020 को अवर लेखा सहायक के पर्याप्त रिक्त पद थे लेकिन इन लेखा लिपिकों को दिनांक 20.03.2020 से अवर लेखा सहायक के पद पर पदोन्नत न करके दिनांक 01.09.2022 से पदोन्नति प्रदान किया गया जिसके कारण इन लेखा लिपिकों को वरिष्ठता के नुकसान के साथ–साथ आर्थिक नुकसान भी हुआ है।

आई.आर.ई.एम. वौल्यूम–। के पैरा 228 के अनुसार यदि रेल प्रशासन द्वारा पदोन्नति प्रदान करने में विलम्ब किया गया है तो संबंधित कर्मचारी को प्रोफार्मा फिक्सेशन करते हुए उस तिथि से पदोन्नति प्रदान किया जाना चाहिए जिस तिथि वह रिक्त पद पर पदोन्नति पाने का हकदार था। इस नियम के आधार पर पूर्व में भी मण्डल लेखा कार्यालय प्रयागराज द्वारा प्रोफार्मा फिक्सेशन का लाभ वर्तमान कर्मचारी श्री संजय कुमार यादव, एए एवं भू.पू. कर्मचारी मो0 राशिद, एए को लेखा लिपिक से अवर लेखा सहायक के पद पर पदोन्नति के दौरान लाभ दिया गया है। किन्तु यह लाभ वर्तमान कर्मचारियों को नहीं देकर दोहरा मापदण्ड अपनाया जा रहा है।

अतः एनसीआरईएस की मांग है कि लेखा कार्यालय, प्रयागराज मण्डल में लेखा लिपिक से अवर लेखा सहायक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को आई.आर.ई.एम. वौल्यूम–। के पैरा 228 के अनुसार दिनांक 20.3.2020 से प्रोफार्मा फिक्सेशन का लाभ दिया जाए।

मद संख्या 23. HRMS/RESS **में अपग्रेडेशन/सुधार हेतु।**

वर्तमान समय में कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से अवकाश, अवकाश नकदीकरण, एपीएआर, प्रीवेलेज पास/पीटीओ, पीएफ लोन एवं एडवांस माड्यूल इत्यादि का कार्य हो रहा है। इसके कियान्वयन में निम्नवत समस्या आ रही है :–

(1) जब कोई कर्मचारी अवकाश का आवेदन देता है तो उसके नियंत्रण अधिकारी को सर्च करना पड़ता है, जिसमें सैकड़ो कर्मचारियों का नाम आता है जिसके कारण कर्मचारी परेशान होता है, जबकि इसके लिये स्वतः निर्धारित नाम ही आने चाहिये।

(2) जब कोई कर्मचारी लेवल 7 एवं उससे उपर का कर्मचारी छुट्टी के साथ रेस्ट/CR इत्यादि का लाभ लेना चाहता उसके अन्य लीव के साथ प्रीफिक्स एवं सफिक्स नहीं हो पाता है। अतः जिस प्रकार लेवल 6 तक COCL/Weekly off / CR का आप्सन आता है उसी प्रकार लेवल 7 एवं 8 का भी आना चाहिये।

(3) लीव माडयूल में सार्वजनिक अवकाश View forthcoming Holidays नहीं दिखाया जाता है जो कि दिखाया जाना चाहिये।

(4) पीएफ लोन या एडवांस लेने में किसी कर्मचारी का पदनाम, Declaration इत्यादि में कोई कमी होने पर आईपास से रद्द कर दिया जाता है एवं कर्मचारी को PF एडवान्स लेने में महीनो लग जा रहा है। इसे सही किया जाय।

(5) पास लेने पर यदि कर्मचारी का रिजर्वेशन चार्ट बनने पर कन्फर्म नही होता है तो उसी समय किसी अन्य गाड़ी में रिजर्वेशन कराना सम्भव नही होता है क्योंकि पास माड्यूल उसे 2–3 दिन बाद दोबारा रिजर्वेशन के लिये स्वीकृत करता है एवं उस कर्मचारी को या तो दूसरा पास निकालना पड़ता है या नगद खर्च करना पड़ता है। अतः किसी ट्रेन में चार्ट बनने के बाद वेटिंग क्लियर न होने पर तुरन्त रिजर्वेशन की सुविधा पास माड्यूल में प्रदान की जाय।

(6) RESS पर कर्मचारियों की पे स्लिप मात्र एक कलेन्डर वर्ष तक रहती है। पूर्व में कर्मचारियों को पे स्लिप की हार्ड कापी मिला करती थी जो कोविड–19 के बाद बंद कर दी गई है। यहां यह बताना आवश्यक है कि कई बार कर्मचारियों को कम वेतन या अधिक

वेतन, एरियर, बैंक लोन, सत्यापन आदि की गणना/सुधार के लिये पे स्लिप की जरूरत पड़ती है जो कि अब उसको उपलबध नही हो पा रही है। अतः NCRES की मांग है कि या तो पे स्लिप की हार्ड कापी दिया जाय अथवा HRMS पर पूर्व के समस्त वर्षो के प्रत्येक माह की पे स्लिप RESS पर उपलब्ध करायी जाय।

(7) RESS पर कर्मचारियों को वर्षो से फार्म 16 उपलब्ध नही हो पा रहा है एवं कर्मचारी जब भी उसके आप्शन पर क्लिक करता है "No File Find" का मीनू आ जाता है। फार्म 16 के समय से न मिलने पर इन्कम टैक्स रिटर्न भरने में भी दिक्कत आती है। अतः RESS पर फार्म 16 के लिंक फेलियर को अविलम्ब सही कराया जाय।

(8) HRMS में लीव इनकैशमेन्ट PTO पर लेना सम्भव नही हो पा रहा है क्योंकि 2 सेट PTO नम्बर फीड करने का आप्सन नही आ रहा है। इसे सही किया जाय।

(9) रेलवे मेडिकल सिक (RMC) को HRMS के माध्यम से Apply करने की सुविधा दी जाय क्योंकि 60 दिन से ज्यादा होने पर Commute करने का आप्सन चला जाता है।

(10) ज्यादातर कर्मचारी HRMS/RESS मोबाइल एप यूज करते है परन्तु मोबाइल एप पर यह सही कार्य नही कर रहा है। इसे सही कर अपग्रेड किया जाय।

NCRES की मांग है कि RESS/HRMS को अपग्रेड कर/सुधार कर उपरोक्त क्रम सं0 1 से 10 तक की सभी कमियों को दूर किया जाए।

मद संख्या 24. नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत दिव्यांग (PwBD's) कर्मचारियों की परेशानियों के सम्बन्ध में ।

NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की निम्न समस्यायों पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय।

(1) NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक E(NG)I/2019/PM-4/8(E3417311) Dated:18.01.2024 द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को दिनांक 30.06.2016 से नोशनल आधार पर पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र के अनुपालन हेतु उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय से पत्र क्रमांक 797-E/NCR/policy/2024/Reservation(PWBD) Dated: 01.2024 भी जारी किया गया है लेकिन अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि आगरा मण्डल सहित उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी मण्डल में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(2) NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों का रोस्टर बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। लेकिन अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि आगरा मण्डल सहित

उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी मण्डल में दिव्यांग कर्मचारियों का प्रथक से रोस्टर नही बनाया गया है।

(3) NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड क्रमांक E(GP)2022/2/20,RBE-13/2024, Dated:08.02.2024 द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों को विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के बराबर ही अंकों में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अत्यन्त खेद के साथ अवगत कराना है कि आगरा मण्डल सहित उत्तर मध्य रेलवे के किसी भी मण्डल में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि दिव्यांग कर्मचारियों से सम्बन्धित उपरोक्त क्रम सं0 1 से 3 तक (1) प्रमोशन में नोशनल आधार पर 30.6.2016 से आरक्षण प्रदान करने (2) अलग ड्यूटी रास्टर बनाना और (3) विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में SC/ST कर्मचारियों के बराबर अंको में छूट दिलाना सुनिश्चित किया जाय।

मद संख्या 25. कानपुर में कार्यरत कर्मचारियों की समस्यायें।

अवगत कराना है कि कानपुर, प्रयागराज मंडल का एक अति महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां ज्यादा संख्या में कर्मचारी पोस्टेड है लेकिन प्रयागराज मण्डल में कर्मचारियों की समस्या को हर स्तर पर उठाने और वहां आने वाले अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्यवाही नही हो रही है, इसलिये NCRES की मांग है कि कानपुर की निम्न समस्यायों को अविलम्ब हल किया जाय।

NCRES की मांग है कि –

(1) कानपुर परिक्षेत्र के समस्त विभागो में रेल आवासो की भारी कमी के कारण कर्मचारियों को आवासीय समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। अतः नये रेल आवासो का निर्माण कराया जाय।

(2) कानपुर परिक्षेत्र के समस्त रेल कालोनियों की सभी सड़के अत्यन्त ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। इन समस्त कालोनियों की सड़को को आर.सी.सी. बनवाने की व्यवस्था किया जाय जिससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सके।

(3) कानपुर परिक्षेत्र में स्थित फजलगंज, तेजाब मिल, अनवरगंज, ट्रैक्शन रेलवे कालोनी, जमुनिया बाग रेलवे कालोनी, नार्थ रेलवे कालोनी, जन्माष्टमी रेलवे कालोनी, डिग्गी कालोनी, निराला नगर, गोबिन्द नगर, मिलिट्री कैम्प, आदि रेलवे कालोनी के आवास तथा छतों की स्थिति मरम्मत के अभाव में जर्जर हो गई है। तेजाब मिल, अनवरगंज, निराला नगर, गोबिन्द नगर रेलवे कालोनी में अधिकांश

ब्लाक परित्यक्त किये जा चुके है। इस सम्बन्ध में एन.सी.आर.ई.एस. की मांग है कि परित्यक्त आवासो के स्थान पर नये आवासों का निर्माण कराया जाय।

मद संख्या 26 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के संविदा चिकित्सको का मानदेय 75000/– रू0 से बढ़ाकर कम से कम 125000/– किया जाना।

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज, झांसी और आगरा के चिकित्सालय में पिछले काफी लम्बे समय से संविदा चिकित्सको (सी.एम.पी/हाउस सर्जन) के कई पद रिक्त पड़े थे कई बार रिक्त स्थानो पर विज्ञापन देने के बाद भी आवेदन प्राप्त नही हो पा रहे है, जिनको बीच मे प्रशासन द्वारा भरने का प्रयास करने के बाद कुछ चिकित्सक आये परन्तु कुछ समय बाद यह फिर से खाली हो गये और इनके खाली रहने में निरंतरता बनी हुई है ।

इस समस्या के कारण रेलवे चिकित्सालय मे ओ.पी.डी, आपातकालीन मे चिकित्सको का अभाव रहता है जिसके कारण रेल कर्मचारियों, सेवा निवृत्त कर्मचरियों व उनके परिवार जनो चिकित्सीय सुविधा लेने मे असुविधा होती है ।

इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुये मंडल रेल चिकित्सालय झांसी व आगरा में कार्यरत संविदा चिकित्सको (हाउस सर्जन/सी.एम.पी) के मानदेय को बढ़ाने हेतु NCRES की डिवीजनल बाडी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, झांसी व आगरा को पत्र द्वारा अनुरोध किया गया जिस पर आगरा व झांसी मंडल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मद मुख्यालय से सम्बन्धित है एवं इसका निस्तारण मुख्यालय स्तर पर ही सम्भव है ।

झांसी मे स्थित महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज चिकित्सालय में कार्यरत संविदा चिकित्सको को रेल चिकित्सालय में कार्यरत संविदा चिकित्सा से ज्यादा मान्देय दिया जा रहा है।

NCRES की मांग है कि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के भाग–। के पैरा 243 (2) की मद सं. 1 के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कार्यरत संविदा चिकित्सको के मानदेय को बढ़ाया जाय ताकि रिक्त पदो को भरा जा सके।

मद संख्या 27 : प्रयागराज स्थित Central Organization for Railway Electrification (CORE) में कार्यरत कर्मचारियों को नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज में समाहित किये जाने हेतु।

NCRES को अवगत कराना है कि प्रयागराज स्थित Central Organization for Railway Electrification (CORE) के आफिस को आने वाले समय में बंद करने की योजना के कारण वहां कार्यरत कर्मचारियों को उनके Parent Railway में वापस भेजा जा रहा है।

वर्तमान में प्रयागराज कोर में विभिन्न विभागो में कार्यरत नान गैजेटेड कर्मचारियों की संख्या निम्न है–

1. General Admin 76
2. Electrical - 76
3. S&T - 37
4. Civil - 33
5. Store - 17
6. Personal - 17
7. Account - 16
8. RPF - 01
9. Operating – Nil

   कुल कर्मचारी = 273

NCRES को अवगत कराना है कि वर्षो से प्रयागराज में Deputation पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों ने यहां अपने मकान भी बना लिये है एवं बच्चो की शिक्षा भी प्रयागराज से हो रही है एवं उनमें से कई के तो रिटायरमेन्ट में भी मात्र 5–7 वर्ष शेष है।

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या E(NG)I/2023/TR/26 दिनांक 23.10.2023 द्वारा ऐसे कर्मचारियो को उनके Parent Zone के अतिरिक्त अन्य ऐसे जोनो में Deputation पर जाने की छूट दी है जहां अभी भी RE के प्रोजेक्ट चल रहे है। NCRES को ज्ञात हुआ है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन को भी RE के प्रोजेक्ट मिले है जिन्हें प्रयागराज मण्डल को ही पूरा कराना है।

NCRES की मांग है कि प्रयागराज में रिक्त पदो पर CORE/Prayagraj के ऐसे इच्छुक कर्मचारियों से आप्सन लेकर Deputation पर प्रयागराज में समाहित किया जाय।

NCRES की मांग है कि NCR HQ/PRYJ एवं NCR/Div./HQ/PRYJ में ऐसे रिक्त पदो की सूची जारी करते हुये RE/CORE के 273 कर्मचारियों को प्रयागराज में Deputation पर रखने हेतु उचित कार्यवाही की जाय।

मद संख्या 28 : नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में Sr. Commercial Cum Ticket Clerk GP-2800 की नियम विरूद्ध DRM Office (Commercial Branch) में पोस्ट किया जाना।

रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो के तहत कामर्शियल विभाग के तीन कैडर viz. टिकट चेकिंग (TC), कामर्शियल क्लर्क (CC) एवं इन्क्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क (ECRC) को मर्ज करके एक नया यूनिफाइड Commercial & Ticketing कैडर बनाया गया है जिनके पद एवं ग्रेड निम्न के अनुसार है।

(1) Commercial Cum Reservation Clerk (GP-2000 L-3, Entry Level)
(2) Sr. Commercial Cum Reservation Clerk (GP-2800 L-5)
(3) Chief Commercial Cum Reservation Clerk (GP-4200 L-6)
(4) Commercial Suprintendent (GP-4600 L-7)

उपरोक्त कैडर में रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या RBE 85/2023 दिनांक 28.6.2023 के द्वारा GP-2800 L-5 में सीधी भर्ती बंद कर दी है परन्तु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में पूर्व की अधिसूचना पर RRB से L-5 GP-2800 में Sr. CCTC में सीधी भर्ती हुई है जिन्हें प्रयागराज में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की वाणिज्य शाखा में पोस्ट किया गया है।

उपरोक्त पदो के मर्जर से स्पष्ट है कि नये मर्ज कैडर में RRB से नियुक्त Sr. Commercial Cum Reservation Clerk (GP-2800) को टिकट चेकिंग, कामर्शियल क्लर्क एवं इन्क्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क (ECRC) के कार्य हेतु पोस्ट किया जायेगा परन्तु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रयागराज मण्डल में ऐसा नही किया जा रहा है एवं उन्हें प्रयागराज मण्डल के पत्र संख्या E-Comm/RRB/Sr.CCTC/Posting दिनांक 17.11.2023 के तहत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय की वाणिज्य शाखा में पोस्ट कर क्लर्क का काम लिया जा रहा है जो कि न केवल नियम विरूद्ध एवं रेल कर्मचारियों का शोषण है और मैन पावर का दुरूपयोग भी है।

NCRES की मांग है कि प्रयागराज मण्डल में नियम विरूद्ध पोस्ट हुये सभी ऐसे कर्मचारियों को उपयुक्त जगह पोस्ट कर उनसे प्रापर ड्यूटी ली जाय एवं नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में Sr.CCTC में पोस्ट कर्मचारियों से कहीं अन्यत्र कार्य न लिया जाय।

मद संख्या 29 : **NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय का निर्माण स्काउट गाइड कार्यालय के परिसर में Utility Shifting के कारण स्टेशन डेवलपमेन्ट फंड से कराया जाना और वर्तमान सेन्ट्रल कार्यालय 464/AB नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज के रोके गये मरम्मत के कार्य को शुरू कराना।**

प्रयागराज स्टेशन/सेन्ट्रल हास्पिटल के डेवलपमेन्ट क्षेत्र में NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय स्थित होने के कारण वर्ष 2017 में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक श्री एम. सी. चौहान ने नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (NCRES) के महामंत्री से कहा था कि केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज के विकास के लिये NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय की आवश्यकता है, इसलिये आप सेन्ट्रल कार्यालय के लिये कोई उपयुक्त जगह बताये, उसे NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय के लिये आवंटित कर बिल्डिंग का निर्माण करा दिया जायेगा। इस पर NCRES के महामंत्री ने रेल विद्युतीकरण के बगल नवाब यूसुफ रोड पर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय का परिसर NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय के लिये आवंटित करने के लिये अनुरोध किया था। NCRES के इस प्रस्ताव पर तत्कालीन महाप्रबंधक, PCE, CAO(C), CMD व MD ने सहमति व्यक्त किया था और NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय के लिये स्काउट गाइड कार्यालय का परिसर आवंटित करने के लिये Proposed Map भी

जुलाई 2018 में बनाया गया था लेकिन फंड की कमी इत्यादि के कारण आगे की कार्यवाही रूक गई। इसके बाद पुनः वर्ष 2019 में तत्कालीन महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी के समय भी चर्चा शुरू हुई और स्काउट गाइड कार्यालय के परिसर में NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय बनाने पर सहमति बनी लेकिन कोरोना महामारी व अन्य अज्ञात कारणो से आगे की कार्यवाही नही हो पाई।

इसके बाद भारत सरकार की योजना के अनुसार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज के विकास के साथ प्रयागराज स्टेशन के डेवलपमेन्ट की बात भी शुरू हुई। यहां बताना जरूरी है कि प्रयागराज स्टेशन डेवलपमेन्ट के क्षेत्र में NCRES के HQ शाखा नं0 1, HQ शाखा नं0 2 व रेल विद्युतीकरण का शाखा कार्यालय प्रभावित हो रहा था जो नवाब यूसुफ रोड पर ट्रैफिक कालोनी व बलईपुर कालोनी में स्थित था, इसलिये NCRES ने नवाब यूसुफ रोड पर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय के परिसर के अगल–बगल का ब्लाक जो जर्जर हालत में था, आवंटित करने के लिये अनुरोध किया था लेकिन पूर्व महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी जी के समय भी कोई निर्णय नही हो पाया।

इसके बाद पुनः पूर्व महाप्रबंधक श्री सतीश कुमार जी व मण्डल रेल प्रबंधक/प्रयागराज से वार्ता शुरू हुई। दिनांक 13.7.2023 को NCRES के महामंत्री ने DRM/PRYJ से मिलकर सारी स्थिति स्पष्ट किया और प्रयागराज स्टेशन डेवलपमेन्ट के क्षेत्र में पड़ने वाले NCRES के हेडक्वाटर शाखा नं0 1 और 2 पर चर्चा किया और अपने पत्र दिनांक 14.7.2023 द्वारा अनुरोध किया कि NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय के लिये स्काउट गाइड कार्यालय का परिसर और HQ शाखा नं0 1 व 2 के लिये स्काउट गाइड कार्यालय के परिसर के बगल परित्यक्त जर्जर ब्लाक नं0 628 आवंटित किया जाय।

यह भी अवगत कराना है कि DRM/PRYJ के आदेश से मण्डल अभियन्ता (सम्पदा) ने दिनांक 23.11.2023 को NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय के लिये स्काउट गाइड का परिसर आवंटित कर दिया और NCRES के वर्तमान सेन्ट्रल कार्यालय 464/AB नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज में चल रहे मरम्मत के कार्य को बंद करा दिया जिसके कारण कार्यालय का रूटीन कार्य प्रभावित होने लगा। यहां यह भी बताना जरूरी है कि NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय में प्रयागराज, झांसी और आगरा मण्डल तथा भारतीय रेल के दूसरे जोनो से कर्मचारी आते है और सेन्ट्रल कार्यालय अवयवस्थित होने के कारण आने वाले कर्मचारियों को परेशानी हो रही है साथ ही साथ नार्थ सेन्ट्रल रेलवे की छवि पर भी प्रभाव पड रहा है।

यह भी गौर किया जाना चाहिये कि स्टेशन डेवलपमेन्ट का कार्य प्रभावित होने के कारण CAO(C) NCR , श्री मंजुल माथुर जी के आश्वासन पर कि Utility Shifting के कारण डेवलपमेन्ट के फण्ड से NCRES के सेन्ट्रल व शाखा कार्यालय का निर्माण करा दिया जायेगा, NCRES ने HQ शाखा नं0 1 व 2 का कार्यालय खाली कर दिया ताकि स्टेशन डेवलपमेन्ट का कार्य प्रभावित न हो। इसी के साथ NCRES ने अपने पत्र दिनांक 1.12.2023 द्वारा GM/NCR व CAO/NCR से अनुरोध किया कि Utility Shifting के कारण NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय व शाखा कार्यालयों का निर्माण स्टेशन डेवलपमेन्ट फण्ड से जल्द कराया जाय ताकि यूनियन कार्य सुचारू रूप से चल सके।

यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 6/7 दिसम्बर 2023 की HQ PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण के समय जब NCRES के महामंत्री ने महाप्रबंधक के समक्ष कहा कि NFIR से सम्बद्ध साउथ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ (SCRES), सिकन्दराबाद, के सेन्ट्रल कार्यालय की तरह NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय स्काउट गाइड परिसर, नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज में स्टेशन डेवलपमेन्ट फण्ड से बनाया जाय, तो महाप्रबंधक महोदय ने सहमति व्यक्त कर PNM बैठक में उपस्थित PCE व CAO(C) से NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय SCRES के सेन्ट्रल कार्यालय की तरह बनाने के लिये कहा। यह भी अवगत कराना है कि एजेण्डा आइटम पर चर्चा के समय NCRES के PNM मद सं0 4/2021 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया कि **''एनसीआरईएस के निर्माणाधीन सेन्ट्रल कार्यालय में उपलब्ध जगह पर कांफ्रेंस हॉल बनाने का कार्य सम्मिलित किया जायेगा''** और मद सं0 4/2021 समाप्त कर दिया गया।

इसके बाद SCRES , सिकन्दराबाद के सेन्ट्रल कार्यालय का नक्शा NCRES ने CAO (C) को सुपुर्द कर दिया जिसके अनुसार निर्माण विभाग ने NCRES के सेन्ट्रल कार्यालय और कॉफ्रेन्स हाल का नक्शा बनाकर हस्तारक्षर के लिए फरवरी 2024 में प्रयागराज मंडल भेजा ताकि DEN(Estate),Sr.DEN(C), Sr DEE(G) व DRM के हस्ताक्षर के बाद कार्यालय के निर्माण के लिये फण्ड का अनुमोदन लेकर निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके लेकिन ज्ञात हुआ है कि प्रयागराज मण्डल द्वारा 20.5.2024 तक हस्ताक्षर नही हुआ ,दुसरी तरफ इंजीनियरिंग विभाग ने कार्य करने वाली एजेन्सी आकांक्षा कंसट्रक्सन को निर्देश देकर सेन्ट्रल कार्यालय के वाउन्ड्री के पीछे 10 फिट गहरा गडढा खोदवा दिया है जिसके कारण विल्डिंग असुरक्षित हो गई है।

NCRES की मांग है कि :–

(1) NCRES का सेन्ट्रल कार्यालय, दो शाखा कार्यालय व कान्फ्रेन्स हाल का निर्माण Utility Shifting के कारण स्टेशन डेवलपमेन्ट फण्ड से जल्द कराया जाय।
(2) NCRES के नये सेन्ट्रल कार्यालय के बनने तक NCRES के वर्तमान सेन्ट्रल कार्यालय के मरम्मत का रोका गया कार्य पुनः शुरू कराकर अधूरा कार्य पूरा कराया जाय और कार्यालय की बाउन्ड्री के पीछे खोदा गया गडढा भरवा दिया जाय।

मद संख्या 30 : **नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कन्डक्टरों (Non doctor or Non notified First Aiders) को रेल यात्रियों के इलाज हेतु First Aid Box दिया जाना।**

NCRES को अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 2016/H/Treatment Facility दिनांक 23.3.2018 (जो कि Hon'ble Supreme Court की Civil Appeal No. 3224/2006 पर जारी किया गया था) के द्वारा यात्री ट्रेनो में यात्रियों के लिये मेडिकल इमरजेन्सी के दौरान इलाज हेतु First Aid Boxes (renamed as Medical Boxes) उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किया था। पत्र के साथ उन दवाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी थी जो पत्र जारी होने के तिथि के बाद से First Aid

Box में होनी चाहिये। पत्र में स्टेशनो पर Emergency Medical Rooms (EMR's) बनाये जाने का निर्देश दिया गया था जिसे Medical Professional Groups कान्ट्रेक्ट बेसिस पर चलायेगें और रेल यात्रियों का इलाज करेगें एवं जहाँ ऐसा न हो पाये, उन स्टेशनो पर AIIMS की अनुशंसा पर जारी दवाओं के साथ Medical Boxes रखे जायेगें।

NCRES को खेद के साथ अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दि0 23.03.2018 की गाइड लाइन का पालन न करके ट्रेन के कन्डक्टर को Special First Aid Box देकर ट्रेन यात्रियों को इलाज करने हेतु कहा जा रहा है जो न तो Doctor और न ही Qualified First Aider की श्रेणी में आता है इसलिये यह पूर्णतया गलत है। यहां यह भी कहना जरूरी है कि First Aid बाक्स के सम्बन्ध में जारी प्रयागराज मण्डल का आदेश दिनांक 3.1.2024 व 14.05.2024 यात्रियों की जान से खिलवाड़ करना है और यात्रियों के साथ कोई अप्रत्यासित घटना घट जाने पर टिकट चेकिग स्टाफ को अनावश्यक रूप से कानूनी विवाद में उलझाना है।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि IRMM के Annexure VII जहाँ ट्रेन सुप्रीटेन्डेन्ट या पैन्ट्री कार मैनेजर को Special First Aid Box दिये जाने का जिक्र है उससे स्पष्ट है कि बाक्स में रखी दवायें IRMM में जारी निर्देशो के अनुरूप होगी और मरीजो को देने की जिम्मेदारी Doctor अथवा Qualified First Aiders की होगी ।

इसके अतिरिक्त यह भी कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे प्रयागराज मंडल द्वारा जो Special First Aid Box में दवाओं को कन्डक्टरो (न कि ट्रेन सुप्रीटेन्डेन्ट) को दिया गया है वे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सूची **अथवा IRMM में जारी निर्देशो के अनुरूप** भी नही है।

NCRES की मांग है कि ट्रेन यात्रियों के इलाज के साथ खिलवाड़ न करके नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रेलवे बोर्ड के नये आदेश संख्या 2016/H/Treatment Facility दिनांक 23.3.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और नार्थ सेन्ट्रल रेलवे प्रयागराज मंडल के वाण्ज्यि विभाग द्वारा जारी 3.1.2024 व 14.05.2024 का आदेश जो यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने का है तुरन्त रद्द किया जाय।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री